११

PWD UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdranl@yahoo.com

पत्रांक ५३२६ / 36सी

दिनांक रानीखेत १७/ ११/ ,2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.537है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/160/2015/एफ.सी./1374 दिनांक 30.11.2016। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/9017/2014)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है जिसकी अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1380 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वृक्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा 1380 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 1518000.00 जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 352809.00 + ₹ 186989.00 नई दरों सहित कुल ₹ 539798.00 जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	एन0पी0वी0 की दरों में यदि भविष्य में बढोतरी होती है तो विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की बढी हुई दरों से धनराशि जमा की जायेगी।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफ0सी0. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दुसरी निधियों की धनराशि वृक्षों का पौधारोपण धनराशि रू 1518000.00 एन0पी0वी0 की धनराशि रू 352809.00 नये दर से एन0पी0वी0 की धनराशि रू 186989.00 कुल रू 2057798.00 कैम्पा के खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर जमा कर दी गयी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित की जानी है।	विभाग द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी, वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

6.	राज्य सरकार ग्राम पंचायत कुणझणा/इनोली की VLC meeting proceedings under FRA की original copy इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ ही geo-referenced digital map in respect of forest land proposed for diversion की original copy भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कुणझणा/चनोली की VLC meeting proceeding under FRA की original copy व geo referenced digital map in respect of forest land proposed for diversion की मूल प्रतियॉ पूर्व में प्रस्ताव के साथ प्रेषित की गयी है। सत्यापित प्रतियॉ प्रेषित की जा रही है।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक ४३२६ /३६सी. तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17.11.23

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

Scanned with OKEN Scanner

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

: जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

ंस्थान परिसर,
स्ट, देहरादून–248006
2750809,
– moef.ddn@gmail.com

ू0सी0पी0 / 06 / 160 / 2015 / एफ0सी0 | 1274

दिनांक: 30 / 11 / 2016

सचिव (वन)
ाखण्ड शासन
, रोड, देहरादून।

ाद–अल्मोड़ा में सरपटा–चनुली–कोटा–बासोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.537 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को वर्तन।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या 432/X-4-15/1(235)/2015 दिनांक 29.06.2015 एवं ऑनलाइन प्रस्ताव ा–FP/UK/ROAD/9017/2014.

ारोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/9017/2014 एवम् अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का । करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति ।

गत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं र ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद–अल्मोड़ा में चनुली–कोटा–बासोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.537 है0 वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति ुत शर्तों पर प्रदान करती है –

ायोक्ता अभिकरण द्वारा 1380 वृक्षो के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित रते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

योक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान ल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

ुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। स आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

योक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पंत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते मे Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

सडक निर्माण के पश्चात् जहा–जहा सभव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

राज्य सरकार ग्राम पचायत कुणझणा / इनोली की VLC meeting proceedings under FRA की original copy इस कार्यालय को प्रेषित करे तथा साथ ही geo-referenced digital map in respect of forest land proposed for diversion की original copy भी प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के
विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत्
स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की वि
स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।
सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ
की जायेगी:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forw
एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति
जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच
जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 138 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहा–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय
वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिक
की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनकी अ
जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य मे पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया
सकता है।

भवदीय

(एम0 एस0 नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0 एस0 ने
वन सरं

S.O.
7/11

कार्या
पत्रां
सेवा में,
विषय:
संद:
म

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.537 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 तथा सभी निधियों की धनराशि CAMPA के खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर जमा कर दी गयी है, जिसकी पावती रसीद प्रेषित की जा जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.537 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ—जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में Strip plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.537 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 वर्तमान मूल्य की बढोतरी हुई है बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 352809.00 + नयी दरों से ₹ 186989.00 कुल ₹ 539798.00 जमा कर दी गयी है। भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई दर से एन0पी0वी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

जमा NPV दर ।

S.No.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10159/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10159/2015) Construction of Kulal Musra Devikhal Motor Road	ROAD101592015881	6110159881	30 Dec 2016	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Additional NPV : 1021236/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1021236/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Feb 2023 Transaction Date : 01 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040220231342119599_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I
2	FP/UK/ROAD/10541/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10541/2015) Const. of Peepna Kola Rankuna Gohali motor road	ROAD105412015712	6110541712	09 Dec 2016	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Additional NPV : 1457259/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1457259/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Feb 2023 Transaction Date : 01 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040220231344378181_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I
3	FP/UK/ROAD/9017/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9017/2014) Construction of Sarpata Chanuli Kota Basot Motor Road	ROAD90172014783	6190170783	30 Nov 2016	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Additional NPV : 186989/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 186989/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Feb 2023 Transaction Date : 01 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040220231427033135_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I
4	FP/UK/ROAD/9399/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9399/2015) Construction of motor road to kargil shaheed Anand singh rawat village's Giwaipani	ROAD93992015542	6193990542	21 Sep 2016	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Additional NPV : 584993/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 584993/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Feb 2023 Transaction Date : 01 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040220231323010352_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I
5	FP/UK/ROAD/16265/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16265/2015) Deghat Talli Narayan Mandir Malbheedha Dharkot Shera Munani Malikhet Nagchulakhal Motor Road.	ROAD162652015781	6116265781	03 Dec 2020	CA: 3913016/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3464426/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 7377442/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Aug 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 04 Aug 2022 Transaction Date : 23 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/130720221228445148_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I
6	FP/UK/ROAD/18882/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18882/2016) Timiltona Aarusari Virot Bhemitola Talayi Motor Road.	ROAD188822016775	6118882775	22 Dec 2020	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 620865/- , Plantation scheme of 10 times trees : 133100/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 753965/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 08 Mar 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Mar 2022 Transaction Date : 31 Mar 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/070320221333086042_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I

Scanned with OKEN Scanner

	FP/UK/ROAD/9017/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9017/2014) Construction of Sarpata Chanuli Kota Basot Motor Road	ROAD90172014515	6190170515	30 Nov 2016	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 352809/- , Plantation of 10 times trees effected by project : 1518000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1870809/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 29 Jun 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :02 Jul 2018 Transaction Date :10 Jul 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/611141211218MV Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?p
14	FP/UK/ROAD/9621/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9621/2015) Construction of Deghat Gaurasi motor road	ROAD96212015390	6196210390	27 Oct 2017	CA: 2510772/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3806725/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6317497/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Jun 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :02 Jul 2018 Transaction Date :10 Jul 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/61114125812173 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?p
15	FP/UK/ROAD/10556/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10556/2015) Construction of motor road to connect Thalmar village.	ROAD1055620158386	6110556838	24 Jan 2018	CA: 1228912/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1448685/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2677597/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 13 Jun 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Jun 2018 Transaction Date : 21 Jun 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/61141219121440 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?p
123								

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Scanned with OKEN Scanner

डिजिटल मैप – जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अर्न्तगत सरपटा – चनुली – कोटा – बासोट मोटर मार्ग का नव निमार्ण (लम्बाई 6.50 किमी0)

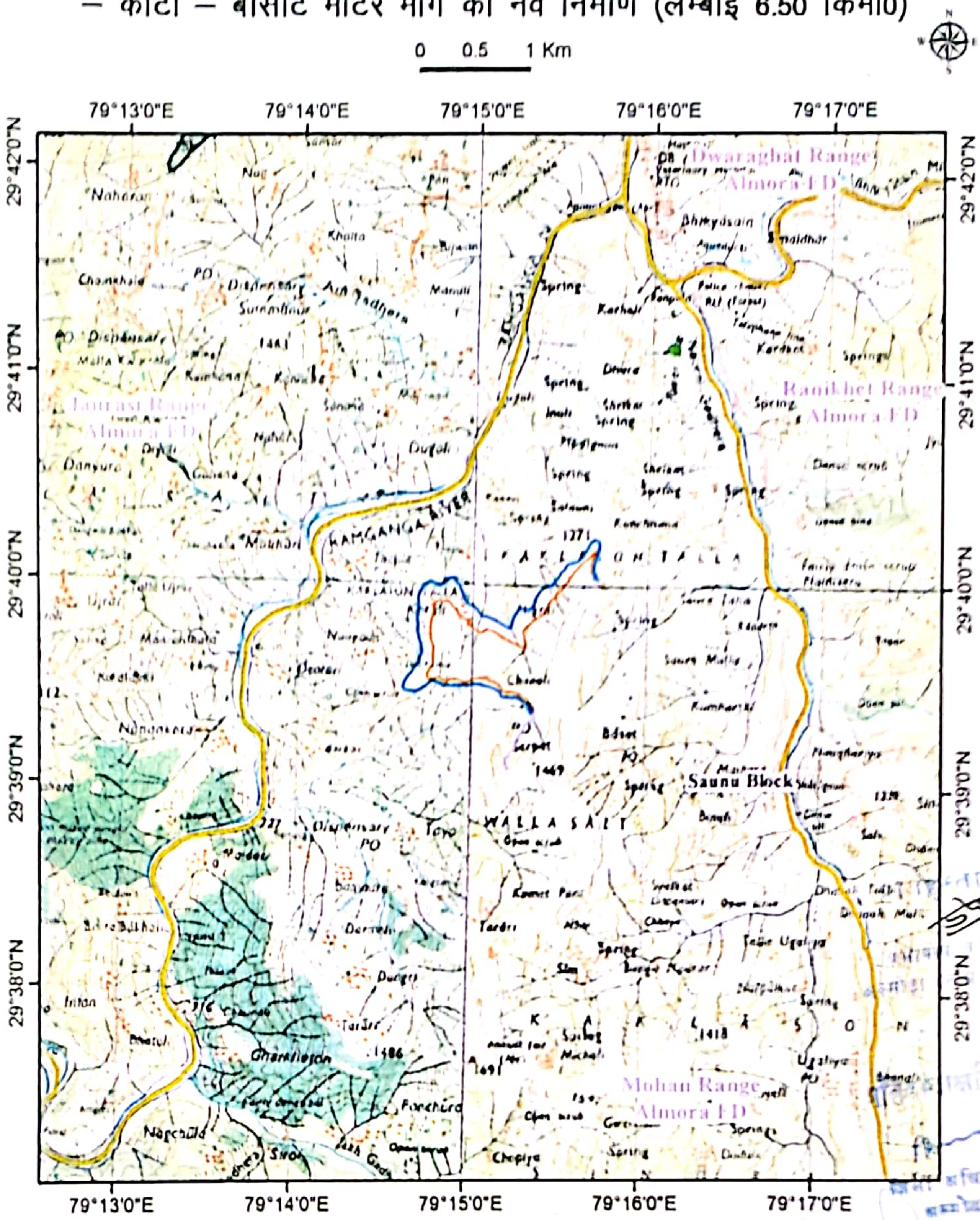

Legend

- Proposed Alignment
- Proposed Common Alignment
- Alternate Alignment
- Forerst Range Boundary
- Proposed Plantation Dhura Civil 01.074 ha

छायाप्रति प्रमाणित

Scanned with OKEN Scanner

1.6 A

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– स्यूरा–चनुली–कोट–बासोट मोटर मार्ग पिपलगाँव बैण्ड

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चनुली
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि 0.25 हे0, वन पंचायत भूमि 0.287 हे0) अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चनुली द्वारा दिनांक 5-11-014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चनुली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0ख0लो0नि0वि0रानीखेत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव	(हस्ताक्षर) प्रधान ग्राम पंचायत–चनुली वि0ख0 भिकियासैंण (अल्मोड़ा)	ह0/– ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

छायाप्रति प्रमाणित (हस्ताक्षर) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत

गंगादेवी प्रधान ग्राम सभा–बासोट वि0 ख0 भिकियासैंण जिला–अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

1·6 B

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5/11/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चनुली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शेरराम पुत्र [illegible]	[illegible]
2	राजेन्द्र सिंह रतन सिंह	[illegible]
3	उमराव सिंह दीवान सिंह	[illegible]
4	पानसिंह पु० मोहन सिंह	पानसिंह
5	देवसिंह पु० गोविन्द सिंह	[illegible]
6	देवेन्द्र सिंह पु० दीवान सिंह	देवेन्द्र सिंह
7	किसनराम पु० राजाराम	किसनराम
8	श्यामसिंह पु० मोहन सिंह	[illegible]
9	धना देवी w/o [illegible] सिंह	[illegible] देवी
10	मोहना देवी w/o लालमान सिंह	मोहना देवी
11	देवसिंह पु० [illegible] सिंह	देवसिंह
12	नारायण पु० [illegible]राम	नारायण
13	नन्दनराम पु० [illegible]राम	[illegible]
14	[illegible] देवी w/o [illegible]	[illegible]
15	आनन्दी देवी w/o आनन्द सिंह	आनन्दी देवी
16	पुष्पा देवी w/o [illegible]	[illegible]
17	[illegible]	पुष्पा देवी
18	कौशल्या देवी w/o [illegible]	कौशल्या देवी
19	कालसिंह पु० हरसिंह	कालसिंह
20	नन्दन सिंह पु० [illegible]	[illegible]

(21) दीवानसिंह पु० हरसिंह = दीवानसिंह
(22) देवकी देवी w/o दीवानसिंह = देवकी देवी
(23) मोहनी देवी w/o [illegible] सिंह = मोहनी देवी
[illegible] देवी w/o [illegible] सिंह = [illegible]
लालमान सिंह पु० किसन सिंह = [illegible]
[illegible] सिंह पु० [illegible] सिंह = [illegible] सिंह
भागवती देवी w/o [illegible] = [illegible]

ह०/–
ग्राम प्रधान
देवेन्द्र सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत–चनुली
वि०ख० भिक्यासैन (अल्मोड़ा)

[illegible]
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रारुप—23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा - चनुली - कोटा - बासोट मो० मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सरपटा / चनुली
तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरपटा - चनुली - कोटा - बासोट परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि — हे0 सिविल सोयम भूमि0.250 हे0 वन पंचायत भूमि0.287 हे0) अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरपटा / चनुली द्वारा दिनांक 4-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरपटा / चनुली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

देवेन्द्र सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत—चनुली
वि0ख0 सियासैंण (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड सियासैंण

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रारुप –23.1

दिनांक 11-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सरपटा / चनुली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कुंवरसिंह	श्री कुवरसिंह
2-	दुर्गादेवी	श्रीमती दुर्गादेवी
3.	शिवसिंह	श्री शिवसिंह
4-	कृपालसिंह	" कृपालसिंह
5.	दिवानसिंह	" दिवानसिंह
6	देव गिरी	" देवगिरी

7 [illegible]

ग्राम प्रधान / सरपंच
प्रधान
ग्राम पंचायत–चनुली
वि०ख० सिल्ट्यारीन (अल्मोड़ा)

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

प्रारुप—23

परियोजना का नाम :- जनपद-अल्मोड़ा में सरपटा - च्युली - कोटा बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 है0)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डुनोली
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (X है0 आरक्षित वन भूमि X है0 सिविल सोयम भूमि 0.250 है0 वन पंचायत भूमि 0.287 है0) अर्थात कुल 0.537 है0 वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुनोली द्वारा दिनांक 4-11-014 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा०ख० लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड भिकियासैंण

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

ग्राम प्रधान /सरपंच
प्रधान
ग्राम पंचायत डुनोली
वि०ख०—भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रारूप –23.1

दिनांक 4-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत इनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दीवान सिंह	दीवान सिंह
	किशनानंद	किशनानंद
	प्रयाग सिंह	प्रयाग सिंह
	दामोदर	दामोदर
	नन्दनगिरी	नन्दनगिरी
	मधुली देवी	अं० नि० मधुली देवी

ग्राम प्रधान /सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत इनोली
वि०ख०–भिकियासैन (अल्मोडा)

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद-अल्मोड़ा में सरपटा – चनुली – कोट्यू कासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 है०)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुमाश्ता/इनोली
तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (X है0 आरक्षित वन भूमि X है0 सिविल सोयम भूमि 0.250 है0 वन पंचायत भूमि 0.287 है0) अर्थात कुल 0.537 है0 वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमाश्ता द्वारा दिनांक 4-11-014 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के पाविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमाश्ता/इनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा०खं० लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेंन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

ग्राम पंचायत सचिव

प्रधान
ग्राम प्रधान /सरपंच
ग्राम पंचायत कुमाश्ता/इनोली
वि०ख०–भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

<u>प्रारूप –23.1</u>

दिनांक 4-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुणखेत्र / इनौली

	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्तियों / ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	खुशाल सिंह	खुशाल सिंह
2.	जमन सिंह	जमन सिंह
3.	मकुली देवी	[अंगूठा निशान]
4.	विमला देवी	विमला देवी
5.	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच

[हस्ताक्षर]

प्रधान

ग्राम पंचायत इनोली

वि0ख0–भिकियासैन (अल्मोड़ा)

B[illegible] [illegible]त

[हस्ताक्षर]

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

रानीखेत

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :- जनपद - अल्मोड़ा में सरपटा - चनुली - कोटा - बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 हैक्ट)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सौरे
तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (x x हे0 आरक्षित वन भूमि x हे0 सिविल सोयम भूमि 0.250 हे0 वन पंचायत भूमि 0.287 हे0) अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौरे द्वारा दिनांक 12-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौरे के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रधान
ग्राम पचायत सौंरे
वि0ख0 भिकियासैण (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

वन पंचायत सरपंच ... अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
... ... विकासखण्ड

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रारुप –23.1

दिनांक 2-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सौरे

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	बागसिंह S/o इन्द्र सिंह	बागसिंह
2.	राजेसिंह S/o बच्चे सिंह	नि॰ अं॰ राजेसिंह
3.	राजेन्द्र राम S/o हरी राम	राजेन्द्र राम
4.	अम्बा देवी W/o चन्दनसिंह	अम्बादेवी
5.	रामसिंह S/o आनसिंह	राम सिंह
6.	देव सिंह S/o उत्तमसिंह	देवसिंह

प्र॰ धनीसिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत सौरे ग्राम प्रधान / सरपंच
वि०ख० भिकियासैण (अल्मोड़ा)

Khem Singh
ग्राम पंचायत सौरे
वि० ख० भिकियासैण (अल्मोड़ा)

हस्ताक्षर प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :- जनपद - अल्मोड़ा में सरपटा - चनुली - ओटा - वासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 है0)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोट गिवाई
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (X है0 आरक्षित वन भूमि 0.250 है0 सिविल सोयम भूमि 0.287 है0 वन पंचायत भूमि ~~0.537~~ है0) अर्थात कुल 0.537 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोट गिवाई द्वारा दिनांक 4-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोट गिवाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
विकास खण्ड भिकियासैंण

गंगादेवी
ग्राम प्रधान /सरपंच
प्रधान
ग्राम पंचायत
पो0 - कोटा गिवाई
वि0 खं0 भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

1.6C

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– सरपता-चनुली, कोटा-सलौनी, पीपलगाँव बैण्ड तक लिंक मार्ग,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भिकियासैण

जी. एस. बिष्ट
सदस्य जिला पंचायत
24 बिनोली मिक्यासैण
जिला अल्मोड़ा

उपखण्ड भिकियासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त ———— (———हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि) का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 रानीखेत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियासैण) की दिनांक 5-11-014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible] उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी,
भिकियासैण (अल्मोड़ा)

1– श्री एन. एस. नगन्याल उपजिलाधिकारी — भिकियासैण —अध्यक्ष
2– श्री वी. के. रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी— रानीखेत —सदस्य
3– श्री कुन्दन एस. रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी— भिकियासैण —सदस्य/सचिव
4– श्री जोगासिंह —बी0डी0सी0 क्षेत्र — चापाट —सदस्य

जोगासिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत चापाट
वि0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सरपता - चनुली - कोटा बासोट ———— परियोजना हेतु 0.537 हे0 वन भूमि सरपता - चनुली - कोटा बासोट मोटर मार्ग लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

16D

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मि0किमौर परिक्षेत्र के अन्तर्गत सरपर-चन्द्रौली-कोटा-कोठार परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि 0.53 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— मि0 किमौर
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी,
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— मि0 किमौर
जनपद अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

23·3 1·6 E

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. **परियोजना का नाम** :– जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग। (8.50 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में **सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग (8.50 किमी.)** के निर्माण हेतु ....537.. है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

04/12/14

ह0/-
जिलाधिकारी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Ameen Pramar Patra/Arvind

1.6. H

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.537 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

04.12.14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

1:6 F

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :......................................

Dated:...............

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 0.537 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sarpata chanuli Kata Basal motor Road (Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chanuli village(s) in Bhikiyasain Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.537 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

04/7/2014
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.
D.M.

तहसीलदार भिकियासैंण
Tehsildar

उप.जिलाधिकारी,
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

105

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner